न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र.
R-3925-I-16

किशन सिंह आत्मज श्री कल्याण सिंह बघेल,
निवासी– ग्राम छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरुद्ध

1. धर्मचंद आत्मंज श्री प्यारेलाल साहू
निवासी– ग्राम छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)
कालूराम साहू आत्मज श्री रामचरण साहू,
निवासी– ग्राम छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 9/अ–5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 113 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह ग्राम रूसल्ली, प.ह.नं. 12 का निवासी है तथा भूमि खसरा क्र. 318 रकबा 1.256 हेक्टेयर का भूमिस्वामी, स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि लगभग 30 वर्ष पूर्व दिनांक 10.08.1971 को पंजीयत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई थी तभी से काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के नक्शे में खसरे के मान से कम भूमि है। उक्त भूमि का नक्शा में कम होने का पता किशन सिंह द्वारा सीमांकन कराने से आरआई साहब द्वारा सीमांकन करते समय पता चला और मौके की जांच कराकर नक्शा दुरूस्त करने की सहायता चाही गई। अनावेदक क. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जवाब आवेदक की ओर से प्रस्तुत कर आवेदन–पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में स्पष्ट रूप से लेख किया कि धारा 113 के अधीन जो आवेदन दिया है वह केवल राजस्व अभिलेखों में देखने मात्र से त्रुटि लगती हो उसके बारे में प्रावधान है तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही केवल अनुविभागीय अधिकारी महोदय को करने का अधिकार है। खसरा नम्बर 318 के आसपास 319, 320, 317/1 व 317/2 लगे हुए हैं। खसरे के मान से खसरा क. 318 का रकबा 1.265 हेक्टेयर व खसरा क. 320 का रकबा 0.316 हेक्टेयर, खसरा क. 319 रकबा 0.379 हेक्टेयर, खसरा क्र. 317/1 रकबा 0.917 हेक्टेयर और खसरा क. 317/2

...2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3925-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 9/अ-5/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम छोटी रुसल्ली पटवारी हल्का नं. 12 स्थित भूमि खसरा नं. 318 रकवा 1.256 हे. भूमि का नक्शा दुरुस्त किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख से प्रतिवेदन प्राप्त कर नक्शा दुरुस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि धारा 113 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अधीन आवेदन-पत्र प्रचलन योग्य नहीं है तथा धारा 113 संहिता के अधीन प्रश्नाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि प्रभारी अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया गया और ना ही उनके द्वारा रकवा बरारी किए जाने का लेख किया गया है, केवल जांच करना अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया है, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच किस आधार पर एवं किस प्रकार की गई। इस प्रकार प्रभारी अधीक्षक, भू-अभिलेख का प्रतिवेदन अस्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवेदन विश्वास कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में भूल की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्रश्नाधीन आदेश इस आधार पर भी निरस्त किए जाने योग्य है 4/ अनावेदक एकपक्षीय हैं। 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण धारा-113 का है जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है एवं संहिता की धारा-113 में स्पष्ट प्रावधान है कि 113 में लेखन संबंधी गलतियों को सुधारने की शक्तियां डिप्टी कलेक्टर (नजूल) एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को भी दे दी गई हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	